

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप
उम्मीदवार के पिता/माता/वैध अभिभावक का शपथ पत्र
(केवल अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये)

नाम :

पिता का नाम :

अनुसूचित जाति/जनजाति :
(अनु.का क्रमांक)

धर्म :

व्यवसाय :

पता :
.....
.....

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि -

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अंतर्गत जिला.....
(म.प्र.) के लिये घोषित अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति का /की सदस्य हूँ।
2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारीके समक्ष
जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक.....
को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के
अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

.....

टिप्पणी - जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट दें एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति
का नाम.....निवासी ग्राम/नगर.....वि.खं.....
.....तहसील.....जिला.....संभाग.....के.....
.....जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के
अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के
रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यहजाति/जनजाति अनुसूचित जाति
एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....
.....पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम..
.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....
के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए.....है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत
विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ)कलेक्टर/डिप्टी
कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब)
तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास
परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही
जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और नही स्थानीय
निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति
का नाम.....निवासी ग्राम/नगर.....वि.खं.....
.....तहसील.....जिला.....संभाग.....के.....
.....जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के
अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के
रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यहजाति/जनजाति अनुसूचित जाति
एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....
.....पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम..
.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....
के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए.....है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित
स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....
पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी ग्राम / शहर.....
तहसील.....जिला.....मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.....
.....जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर,
1984, द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री.....और / या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के
जिला..... संभाग..... में निवास करता है .

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्रीक्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग)
व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के
कालम-3 में तथा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.
7-26/93/1- आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम
(3) में किया गया है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री / श्रीमती / कुमारी.....के
परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....है ।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक को
प्रवजन कर चुका है ।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

अस्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....
पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी ग्राम / शहर.....
तहसील.....जिला.....मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.....
.....जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर,
1984, द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री.....और / या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के
जिला..... संभाग..... में निवास करता है .

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्रीक्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग)
व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के
कालम-3 में तथा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.
7-26/93/1- आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम
(3) में किया गया है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री / श्रीमती / कुमारी.....के
परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....है ।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक को
प्रवजन कर चुका है ।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र
भूतपूर्व सैनिक / मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी / स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

(देखे नियम 2.3.2.1)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता है-

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/ सेवामुक्ति के समय वे.....पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक.....था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है।

स्थान :
दिनांक:.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

(देखे नियम 2.3.3.1)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता है-

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना मेंओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक.....से सेवारत है।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान :
दिनांक:.....

हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग
(कार्यालय सील)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में
व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

(देखे नियम 2.3.3.1)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी(उम्मीदवार का नाम).....जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार सेपर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से.....(स्थान) तहसील.....जिला.....में व्यवस्थापित हो गये है।

स्थान :
दिनांक:.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

(देखे नियम 2.3.3.2)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....(उम्मीदवार का नाम) श्री/श्रीमती.....
.....(उम्मीदवार के पिता/माता का नाम) के/वैध (Legitimate) पुत्री/पुत्र है
जो श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/वैध
(Legitimate) पुत्री/पुत्र है।
2. श्री/श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के
जिला(जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी
(Register) में क्रमांक.....पर पंजीकृत है।

स्थान :

हस्ताक्षर कलेक्टर

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

(देखे नियम 2.4.2)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री.....
.....जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....
.....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये
उम्मीदवार है ने नियमित छात्र/छात्रा के रूप में इस संस्था.....(संस्था का नाम)
में सत्र.....से सत्र.....तक अध्ययन किया है।

स्थान :

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

दिनांक:.....

नाम एवं पद.....

(कार्यालय सील)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

(देखे नियम 2.4.2 ख)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री.....
.....जो तहसीलजिला.....मध्यप्रदेश का
निवासी है, क्योंकि वह

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है

अथवा

2. वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है।

अथवा

3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

अथवा

4. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग व्यवसाय रखते हैं।
इसेक अतिरिक्त
 1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान :

दिनांक:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

टिप्पणी : जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

(देखे नियम 2.4.2 ग)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती.....का/की पुत्र/पुत्री है।

(क) जो.....विभाग में.....पद पर(तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हैं।

अथवा

(ख) जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो(तिथि) को इस विभाग से सेवा निवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए.....(तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है।

स्थान :

कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

(कार्यालय सील)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

(देखे नियम 1.4.2 ग)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री.....
.....जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....
.....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में
प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती.....का/की पुत्र/पुत्री है, जो दिनांक
1 जनवरी 2010 अथवा उसके पूर्व की तिथि.....से मध्यप्रदेश में स्थित.....
.....विभाग में.....पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की
कर्मचारी है।

स्थान :

कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम एवं पद.....

(कार्यालय सील)

मध्यप्रदेश में पुर्नव्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

(देखे नियम 1.4.2 ग)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती.....का/की पुत्र/पुत्री है, जो.....योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पुर्नव्यवस्थापन योजना (Resettlement scheme) है।

स्थान :

हस्ताक्षर : कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक:

(कार्यालय सील)

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र

Office of the Zonal Officer

TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that S/o or, D/o
R/o Tehsil District
..... A/P Pin is
registered from No. R/Card No.
..... At S. No.
of his/her father ration card issued from this zone.

Seal of Tehshildar

Zonal Officer / Tehshildar

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों
के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..... आत्मज/आत्मजा/श्री जो व्यावसायिक
परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)
..... वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)
..... में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के
विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री (उम्मीदवार का नाम) के पिता/
माता श्री/श्रीमती मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/
कर्मचारी है जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के
नियंत्रण हेतु दिनांक से दिनांक
तक (स्थान का नाम) में रही है ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
(सील)

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले
खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..... आत्मज/आत्मजा/श्री ने वर्ष
... की में भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग
नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित
..... राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
..... स्वर्ण पदक अर्जित किया है ।

स्थान
दिनांक

संचालक
खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट :- ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नहीं माना जावेगा ।